

**// कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, दुर्ग (छ.ग.) //**

**॥ आदेश ॥**

क्रमांक/आब./ठेका/1273/2020

दुर्ग, दिनांक 7/4/2020

छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक/1543/2020/वा.क.(आब.) /पांच दिनांक 31.03.2020 द्वारा नोबल कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से आम जन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से देशी/विदेशी मदिरा दुकानों, मद्य भाण्डागारों को दिनांक 01.04.2020 से 07.04.2020 तक बंद करने हेतु आदेश प्रसारित किये गये थे। छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक/1585/2020/वा.क.(आब.) /पांच दिनांक 07.04.2020 के परिपालन में छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं अंकित आनंद कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जिला-दुर्ग, दुर्ग जिले में छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित समस्त देशी मदिरा (सी.एस.-2घघ), विदेशी मदिरा (एफ.एल.-1घघ) दुकानों एवं भण्डारण भाण्डागार भिलाई को दिनांक 08.04.2020 से 14.04.2020 तक बंद रखे जाने हेतु आदेशित करता हूँ।

उक्त अवधि में समस्त वृत्त प्रभारी अपने प्रभार क्षेत्र में उपस्थित रहकर मदिरा का अवैध विक्रय/परिवहन/निर्माण न हो सुनिश्चित करेंगे।

उक्त आदेश का कड़ाई से पालन किया जावे।

(अंकित आनंद)

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी

दुर्ग (छ.ग.)

दुर्ग, दिनांक 7/4/2020

पृ. क्रमांक/आब./ठेका/1273/2020

प्रतिलिपि:-

1. आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, रायपुर संभाग, रायपुर को सूचनार्थ।
5. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग/पाटन/धमधा की ओर सूचनार्थ।
6. सहायक संचालक जनसंपर्क जिला-दुर्ग की ओर सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित कराने हेतु अग्रेषित।
7. भण्डारण भाण्डागार अधिकारी भिलाई, जिला-दुर्ग की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित।
8. सहायक जिला आबकारी अधिकारी, दुर्ग शहर पूर्व/पश्चिम, भिलाई क्रमांक-1/3 एवं धमधा मण्डल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
9. आबकारी उपनिरीक्षक नगर वृत्त दुर्ग शहर पूर्व/पश्चिम, भिलाई क्रमांक-1/2/3/4, दुर्ग आंतरिक दक्षिण/उत्तर/धमधा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

(अंकित आनंद)

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी

दुर्ग (छ.ग.)